



2026:AHC-LKO:13667-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

जनहित याचिका संख्या - 158/2026

प्रवीण कुमार याची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 4 अन्य के माध्यम से विपक्षी
(गण)

याची के अधिवक्ता: पंकज कुमार वर्मा

विपक्षी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता), मोहन सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

1. यह याचिका, जो कथित तौर पर जनहित में है, याची द्वारा विपक्षियों को विपक्षी संख्या 5 के विरुद्ध राजस्व अभिलेखों में 'खलिहान' के रूप में दर्ज भूमि पर उसके कथित अतिक्रमण के लिए कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. विपक्षी संख्या 4 - ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विपक्षी संख्या 5 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पहले ही कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, जिसमें 19 फरवरी, 2026 की तिथि नियत थी।



3. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत, जिसमें प्रतिपक्षी - ग्राम सभा ने पहले ही कदम उठा लिए हैं, वर्तमान याचिका को जारी रखने का कोई कारण नहीं है। अतः, इसे निस्तारित किया जाता है।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 20, 2026

राकेश/एन.डी.

Translated Version. Not for Legal Use.